# "क्लिक" योजना के संबंध में दिशा–निर्देश
## (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge)

**1.0 प्रस्तावना :–**

1.1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों के सहयोग से स्वैच्छिक व स्ववित्तपोषण आधारित कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण हेतु **"क्लिक"** [Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge] योजना लागू की जा रही है।

**2.0 उद्देश्य :–**

2.1 योजना का मूल उद्देश्य 'डिजिटल इंडिया' संकल्पना को साकार करते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भावी डिजिटल युग की मांग के अनुरुप कौशल से संपन्न करने व व्यवसाय की तकनीकी चुनौतियों से निपटने के योग्य बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर अकादमिक विषयवस्तु के ज्ञानार्जन के साथ साथ समानान्तर रुप से कम्प्यूटर ज्ञान कौशल का विकास करना व व्यावसायिक दक्षता प्रदान करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्य किया जायेगा।

**3.0 आधारभूत संसाधन ( Infra Structure ) :–**

3.1 ऐसे राजकीय माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल जिनमें आई.सी.टी. योजनान्तर्गत या किसी अन्य राजकीय योजना, भामाशाह, सांसद व विधायक क्षेत्रीय विकास योजना या विद्यालय विकास कोष के माध्यम से उपलब्ध कम्प्यूटर संसाधनों युक्त कम्प्यूटर लैब स्थापित है उसे यथावत संचालित रखते हुए इस योजना हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

3.2 विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर लैब के समस्त हार्डवेयर संसाधनों व सॉफ्टवेयर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का एकाधिकार

8/2/17

रहेगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार आर. के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों द्वारा लैब का उपयोग इस योजना के प्रयोजन हेतु किया जायेगा।

3.3 कम्प्यूटर लैब के रख–रखाव, मरम्मत, सुरक्षा इत्यादि का समग्र उतरदायित्व पूर्वतः विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का होगा। विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के निर्देशन में आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्रों द्वारा लैब का उपयोग पूर्ण सावधानी से किया जाएगा व उपकरणों की संरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

3.4 प्रथम चरण में ऐसे राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल का चयन किया जाएगा जिनमें कक्षा 6 से 10 तक न्यूनतम नामांकन 200 है एवं आवश्यक संसाधनों युक्त कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है। प्रशिक्षण योजना में पंजीकरण संख्या न्यूनतम 200 से कम रहने की स्थिति में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भी पंजीकृत किया जा सकेगा।

3.5 प्रस्तावित योजना के लिए कम्प्यूटर लैब व अन्य आवश्यक संसाधनों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सांसद व विधायक क्षेत्रीय विकास कोष, भामाशाह सहयोग या अन्य स्त्रोत का उपयोग विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जा सकता है।

## 4.0 <u>संचालन (Execution)</u> :–

4.1 प्रस्तावित योजना पूर्णतः स्ववित्तपोषण आधार पर संचालित होगी।

4.2 योजना से जुड़ने वाले विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगी।**(परिशिष्ट–क)**

4.3 पारित व अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर ही विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र के साथ MoU पर कार्यवाही शुरु करेगी व प्रशिक्षण की समस्त कार्यवाही समझ पत्र में उल्लेखित निर्देशों के अधीन रहेगी। **(परिशिष्ट–ख)**

4.4 आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र के साथ लागु किए जाने वाले MoU पर विद्यालय विकास एवं प्रबंध

8/2/17